संख्या:68 /2026/1095जे0/22-5-2026-300(52)/2017-ई-1848833

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5** **लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2026**

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवमूरत सिंह का उपचार/ऑपरेशन महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल (होमी भाभा कैंसर अस्पताल), वाराणसी में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-34409/सामा-1(3)/67/के0का0वारा0/उपचार-महेन्द्र/26, दिनांक 11-09-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवमूरत सिंह का उपचार/ऑपरेशन महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल (होमी भाभा कैंसर अस्पताल), वाराणसी में कराये जाने हेतु धनराशि रू0 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतीं हैं :

1. उक्त बंदी का उपचार महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल (होमी भाभा कैंसर अस्पताल), वाराणसी में ही कराया जायेगा तथा उपचार के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जाय।
2. यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत बंदी का उपचार कारागार विभाग द्वारा कराया जाना उसके जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य एवं आवश्यक है तथा उसके शीघ्र ही कारागार से रिहा होने की कोई सम्भावना न हो। बंदी के उपचार के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये समस्त तथ्यों की जिम्मेदारी केन्द्रीय कारागार, वाराणसी की होगी।
3. यह भी सुनिश्चित करें कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
4. उक्त बंदी के उपचार के उपरान्त व्यय धनराशि के प्रमाणित बिल की प्रति शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2026-2027 के अनुदान संख्या-25, लेखाशीर्षक-2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या:68/2026/1095जे0(1)/22-5-2026, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2-जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

3- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।